न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 55/2023 निर्णय दिनांक :– 21.02.2024

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. गोपाल पुत्र माधो जाति धाकड़ निवासी माधोसिंहपुरा (दोलता) तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. भंवरलाल पुत्र माधो जाति धाकड़ निवासी माधोसिंहपुरा (दोलता) तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. रामकरण पुत्र माधो जाति धाकड़ निवासी माधोसिंहपुरा (दोलता) तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. राजेन्द्र पुत्र देवा जाति धाकड़ निवासी माधोसिंहपुरा (दोलता) तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. महावीर पुत्र देवा जाति धाकड़ निवासी माधोसिंहपुरा (दोलता) तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. लाडा पत्नी देवा पुत्र देवा जाति धाकड़ निवासी माधोसिंहपुरा (दोलता) तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. रामेश्वर पुत्र हुक्मा पुत्र देवा जाति धाकड़ निवासी माधोसिंहपुरा (दोलता) तहसील देवली जिला टोंक राज0
8. रामसहाय पुत्र हुक्मा पुत्र देवा जाति धाकड़ निवासी माधोसिंहपुरा (दोलता) तहसील देवली जिला टोंक राज0
9. बद्रीलाल पुत्र रामकुंवार जाति धाकड़ निवासी माधोसिंहपुरा (दोलता) तहसील देवली जिला टोंक राज0
10. बद्रीलाल पुत्र रामकुंवार जाति धाकड़ निवासी माधोसिंहपुरा (दोलता) तहसील देवली जिला टोंक राज0
11. रामप्रसाद पुत्र रामकुंवार जाति धाकड़ निवासी माधोसिंहपुरा (दोलता) तहसील देवली जिला टोंक राज0
12. खानाराम पुत्र लादू जाति धाकड़ निवासी माधोसिंहपुरा (दोलता) तहसील देवली जिला टोंक राज0
13. गोपाल पुत्र लादू जाति धाकड़ निवासी माधोसिंहपुरा (दोलता) तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय जिला टोंक राज0
2. तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0
3. नगरपालिका देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0

–अप्रार्थीगण–

—उपस्थिति —
श्री रामनिवास तुनगारिया
अधिवक्ता प्रार्थीगण

पेरोकार सरकार
अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2
प्रदीप नागरवाल
अप्रार्थीगण संख्या 3

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/ आदेश पेश हुई । पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें प्रार्थीगण को न्याय की पूर्ण उम्मीद है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथमदृष्ट्या सिद्ध है सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है एवं प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति है। प्रार्थीगण नं0 1 ता 3 के पिता माधो पुत्र नारायण, प्रार्थीगण नं0 4 ता 8 के दादा/ससुर भोलू पुत्र जगन्नाथ, तथा प्रार्थीगण नं0 9 ता 13 की दादी दांखा पुत्री जगन्नाथ की सेटलमेन्ट से पूर्व की भूमि साबिक खसरा नं0 143 रकबा 30 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम माधोसिंहपुरा तहसील देवली जिला–टोंक राज0 में स्थित है, जिसका इन्द्राज सेटलमेन्ट से पूर्व की जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2036 में है तथा उक्त भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व की साबिका नक्शा सीट में उक्त खसरा नं0 143 रकबा 30 बीघा 9 बिस्वा पूर्ण रकबा की तरमीम भी इन्द्राज है। उक्त साबिक का नक्शा ट्रेस अर्थात सेटलमेन्ट से पूर्व की नक्शा सीट में उक्त भूमि का रकबा तरमीम अनुसार ही प्रार्थीगण के पिता/दादा/ससुर/दादी माधो पुत्र नारायण, भोलू पुत्र जगन्नाथ, दॉखा पुत्री जगन्नाथ, काबिज होकर काश्त करते रहे और उनकी मृत्यु उपरान्त उनके भी पुत्र की मृत्यु उपरान्त प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त खसरा नंम्बर का रकबा साबिका ट्रेस में एल आकार की तरह नक्शा सीट में तरमीम था। उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता/दादा/ससुर/ दादी माधो पुत्र नारायण, भोलू पुत्र जगन्नाथ, दॉखा पुत्री जगन्नाथ, खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही थी। इसी दरमियान सेटलमेन्ट कार्यवाही प्रारम्भ हो गई और दौराने सेटलमेन्ट के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा काफी अनियमितताऐं की गई इसके चलते मौके की साबिका नक्शा सीट के अनुरूप सेटलमेन्ट के दौरान बनाई गई नई सीट में तरमीम नहीं की गई। मौके की वस्तुस्थिति अनुसार मिलान क्षेत्रफल नहीं बनाया गया अर्थात मिलान गलत बनाया गया तथा खातेदारी की भूमियों को राजकीय भूमियों में इन्द्राज कर दिया गया। दौराने सेटलमेन्ट के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा प्रार्थीगण के पिता/दादा/ससुर /दादी माधो पुत्र नारायण, भोलू पुत्र जगन्नाथ, दॉखा पुत्री जगन्नाथ की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नं0 143 रकबा 30 बीघा 9 बिस्वा के हाल खसरा नं0 387 रकबा 3.15 है0, खसरा नं0 388 रकबा 3.33 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 6.48 है0 ही दिया गया। जबकि पूर्ण रकबा दिया जाना चाहिए था तथा सेटलमेन्ट से पूर्व की साबिका नक्शा सीट में उक्त रकबे की तरमीम भी सेटलमेन्ट के दौरान बनाई गई नक्शा सीट में तरमीम होनी चाहिए थी।

जबकि सेटलमेन्ट कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा लापरवाही पूर्वक गलत रूप से पूर्ण कार्य करते हुऐ बिना किसी समक्ष न्यायालय के आदेश के प्रार्थीगण के पिता/दादा/ससुर/ दादी माधो पुत्र नारायण, भोलू पुत्र जगन्नाथ, दॉखा पुत्री जगन्नाथ की खातेदारी भूमि का रकबा कम कर दिया गया तथा तरमीम भी पूर्व सीट के अनुरूप नहीं की गई। प्रार्थीगण के पिता/दादा/ससुर/दादी माधो पुत्र नारायण, भोलू पुत्र जगन्नाथ, दॉखा पुत्री जगन्नाथ की भूमि का रकबा कम किया जाकर उक्त रकबे को साबिक खसरा नं0 238 का भाग मानते हुये गलत मिलान बनाते हुये हाल खसरा नं0 421 रकबा 0.75 है0 राजकीय भूमि में इन्द्राज कर दिया गया जबकि साबिका नक्शा सीट में खसरा नं0 143 का ही हाल खसरा नं0 421 भाग है (जो एल आकार की तरह है)। दौराने सेटलमेन्ट भी प्रार्थीगण के पिता / दादा/ससुर/दादी माधो पुत्र नारायण, भोलू पुत्र जगन्नाथ, दॉखा पुत्री जगन्नाथ की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नं0 143 का पूरा रकबा हाल खसरा नं0 387, 388 के साथ साथ हाल खसरा नं0 421 भी दिया जाकर सही मिलान बनाते हुऐ पूर्व नक्शा सीट के अनुरूप ही नई सीट में तरमीम करनी चाहिए थी और रकबा भी पूर्व अनुसार ही पूरा दिया जाना चाहिए था। जबकि सेटलमेन्ट कर्मचारियों/अधिकारियों ने इसके विपरित जाकर कार्य किया है। प्रार्थीगण के पिता/दादा/ससुर/दादी माधो पुत्र नारायण, भोलू (पुत्र जगन्नाथ, दॉखा पुत्री जगन्नाथ की खातेदारी भूमि को सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा रकबा कम कर दिये जाने व हाल खसरा नं0 421 रकबा 0.75 है0 भूमि को राजकीय इन्द्राज कर दिये जाने के बाद भी काबिज होकर काश्त करते रहे तथा उनकी मृत्यु उपरान्त तथा उनके भी पुत्र की 5 मृत्यु उपरान्त आज भी प्रार्थीगण हाल खसरा नं0 387, 388 जो प्रार्थीगण की खातेदारी में है, के साथ साथ हाल खसरा नं0 421 को पूर्व की नक्शा सीट के अनुरूप ही काबिज होकर काश्त कर रहे है। हाल खसरा नं0 421 राजकीय होते हुऐ भी प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। जिसका इन्द्राज खसरा परिवर्तनशील में इन्द्राज है। हाल खसरा नं0 421 रकबा 0.75 है० राजकीय खाते से हटाकर अप्रार्थीगण नं0 2 ने अप्रार्थीगण नं0 3 के नाम दर्ज कर दी गई। वर्तमान में उक्त भूमि अप्रार्थीगण नं0 3 के नाम होने से अप्रार्थीगण नं. 3 प्रार्थीगण को कभी भी उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। तथा भूमि को किसी भी प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग करने पर आमादा है। प्रार्थीगण के पिता/दादा/ससुर /दादी माधो पुत्र नारायण, भोलू पुत्र जगन्नाथ, दॉखा पुत्री जगन्नाथ की खातेदारी भूमि को सेटलमेन्ट कर्मचारियों/अधिकारियों की गलती/त्रुटी तथा बिना किसी समक्ष न्यायालय के उक्त भूमि का रकबा कम किया जाकर कम किये गये रकबे को हाल खसरा नं0 421 रकबा 0.75 है0 को साबिक खसरा नं0 238 का भाग नहीं मानकर व साबिक खसरा नं0 143 का ही भाग मानकर प्रार्थीगण के पिता/दादा/ससुर/दादी माधो पुत्र नारायण, भोलू पुत्र जगन्नाथ, दॉखा पुत्री जगन्नाथ की खातेदारी में इन्द्राज करना चाहिए था। प्रार्थीगण के पिता/दादा/ससुर/दादी माधो पुत्र नारायण, भोलू पुत्र जगन्नाथ, दॉखा पुत्री जगन्नाथ की मृत्यु हो जाने और उनके भी पुत्रो की मृत्यु हो जाने से प्रार्थीगण

उक्त भूमि खसरा नं0 421 रकबा 0.75 है0 भूमि को अपने नाम लगवाने के अधिकारी है। हाल खसरा नं0 421 पर उदघोषणा की जाकर प्रार्थीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में अप्रार्थीगण नं० 3 का नाम हटाया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कियाजाना आवश्यक है। तथा अप्रार्थीगण नं. 3 अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वो प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे, भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द नहीं करे, भूमि को किसी भी प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग नहीं करे, के लिए पाबन्द किया जाना आवश्यक है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी नं. 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूलवाद पाबन्द किया जावे, कि वह भूमि खसरा नं0 421 रकबा 0.75 है0 वाके ग्राम माधोसिंहपुरा प. ह. पनवाड तहसील देवली जिला–टॉक जिला–टोंक राज0 में स्थित है, में प्रार्थीगण आराजी से बेदखल नहीं करे, भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द नहीं करे तथा भूमि को किसी भी प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग नहीं करे, तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथावस्थिति बनाये रखी जाने हेतु पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:–

1. माननीय न्यायालय से सम्बन्धित है।
2. पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2033–36 की छाया प्रति अनुसार साबिक ख. नं.143 रकबा 30.09 बीघा माधो पुत्र नारायण भोलू पुत्र जगन्नाथ व दाखां पिता जगन्नाथ कोम धाकड़ के नाम दर्ज होना स्वीकार है। कब्जा वादी स्वयं सिद्ध करें
3. अस्वीकार है। वादी स्वयं सिद्ध करे।
4. हाल आ. नं. 387 रकबा 3.15, 388 रकबा 3.83 कुल किता 2 रकबा 5.48 पत्रावली में उपलब्ध मिलान क्षैत्रफल छाया प्रति अनुसार साबिक आर. नं. 143 से बनना स्वीकार है। हाल नक्शा शीट में तरमीम दोराने भू–प्रबन्ध मौके पर मोजूद खेतो की आकृति अनुसार की गई है। शेष अस्वीकार है। वादी स्वयं सिद्ध करे।
5. अस्वीकार है। वादी स्वयं सिद्ध करे।
6. अस्वीकार है। वादी स्वयं सिद्ध करे।
7. नगरपालिका देवली से सम्बन्धित है।
8. हाल आ. नं. 421 पत्रावली से उपलब्ध मिलान क्षैत्रफल छाया प्रति अनुसार साबिक आ. नं. 238 मि. से बना है। अतः अस्वीकार है।
9. माननीय न्यायालय एवं नगरपालिका देवली से सम्बन्धित है।

जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिपक्षी संख्या 3 की ओर से निम्न प्रकार पेश है:–

प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 मे वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश करना स्वीकार है शेष गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण स्वंय साबित करें। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 जानकारी के अभाव में गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण स्वंय साबित करें। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण स्वंय साबित करें। प्रार्थीगण की कोई भूमि खसरा नम्बर 421 में अंकित नहीं है। राजकीय भूमि का राज्य सरकार आदेशानुसार नगरपालिका देवली के पक्ष मे नामांतकरण किया गया है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण स्वंय साबित करें। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण स्वंय साबित करें। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 6 गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण स्वंय साबित करें। राजकीय भूमि का नामांतकरण विधिक प्रक्रिया के तहत किया गया है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 7 गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण स्वंय साबित करें। राजकीय भूमि का नामांतकरण विधिक प्रक्रिया के तहत ही नगरपालिका देवली के पक्ष में किया गया है और नगरपालिका देवली के नाम दर्ज है तथा कब्जा है। प्रार्थीगण जबरन उक्त भूमि को गलत तथ्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने नाम करवाना चाहते है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 8 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण स्वंय साबित करें। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 9 गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण स्वंय साबित करें। खसरा नम्बर 421 नगरपालिका देवली के नाम दर्ज है एवं कब्जा है। राजकीय भूमि को राज्य सरकार के आदेशानुसार नगरपालिका देवली के पक्ष में नामांतकरण विधिक नियमानुसार किया गया है इस कारण नगरपालिका को पाबंद किया जाना न्यायसंगत नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज करते हुये प्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।पत्रावली बहस में नियत की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के पूर्वजो की भूमि साबिक खसरा नं0 143 रकबा 30 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम माधोसिंहपुरा थी, जिसका इन्द्राज सेटलमेन्ट से पूर्व की जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2036 में है तथा उक्त भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व की साबिका नक्शा सीट में उक्त खसरा नं0 143 रकबा 30 बीघा 9 बिस्वा पूर्ण रकबा की तरमीम भी इन्द्राज है। तरमीम अनुसार ही प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त खसरा नंम्बर का रकबा साबिका ट्रेस में एल आकार की तरह नक्शा सीट में तरमीम था। दौराने सेटलमेन्ट के कर्मचारियों व अधिकारियों पूर्वानुसार नई सीट में तरमीम नहीं की गई न ही मौके की वस्तुस्थिति अनुसार मिलान क्षेत्रफल नहीं बनाया गया तथा खातेदारी की भूमियों को राजकीय भूमियों में इन्द्राज कर दिया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नं0 143 रकबा 30 बीघा 9 बिस्वा के हाल खसरा नं0 387 रकबा 3.15 है0, खसरा नं0 388 रकबा 3.33 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 6.48 है0 ही दिया गया। शेष रकबे को साबिक खसरा नं0 238 का भाग मानते हुये

गलत मिलान बनाते हुये हाल खसरा नं0 421 रकबा 0.75 है0 राजकीय भूमि में इन्द्राज कर दिया गया जबकि साबिका नक्शा सीट में खसरा नं0 143 का ही हाल खसरा नं0 421 भाग है । प्रार्थीगण की उक्त भूमि साबिक खसरा नं0 143 का पूरा रकबा हाल खसरा नं0 387, 388 के साथ साथ हाल खसरा नं0 421 भी दिया जाकर सही मिलान बनाते हुऐ पूर्व नक्शा सीट के अनुरूप ही नई सीट में तरमीम करनी चाहिए थी और रकबा भी पूर्व अनुसार ही पूरा दिया जाना चाहिए था। वर्तमान में हाल खसरा नं0 421 को अप्रार्थीगण संख्या 3 के नाम दर्ज है। अप्रार्थीगण नं. 3 का नाम हटाया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। तथा अप्रार्थीगण नं. 3 अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वो प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे, भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द नहीं करे, भूमि को किसी भी प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग नहीं करे, के लिए पाबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

पेरोकार सरकार ने जवाब को बहस मानने की प्रार्थना करते हुए प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते कथन किया कि वर्तमान में विवादित आराजी का अप्रार्थी संख्या 3 खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जिसको खातेदार होने के कारण पाबन्द नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी संख्या 3 को पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।

प्रार्थना अस्थायी निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीन बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू पर विवेचन आवश्यक होता है। विवेचन इस प्रकार है::–

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :–जमाबन्दी वाके ग्राम माधोसिंहपुरा सम्वत 2033–36 के कॉलम संख्या 5 में माधो पुत्र नारायण कोम धाकड़ हि0 1/2 व भोलू पुत्र जगन्नाथ हि0 1/2 के नाम ख. नं. 143 रकबा 30 बीघा 9 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड है। भू– प्रबन्धक विभाग द्वारा जारी खसरा पत्रक में साबिक ख. नं. 143 मिन 30 बीघा 9 बिस्वा से भी ख. नं. 387 व 388 बनना दर्शित किया है जो माधो पुत्र नारायण वगै. के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। भू–प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षैत्रफल अनुसार ख. नं. 143 मिन रकबा 30 बीघा 9 बिस्वा से भी ख. नं. 387 रकबा 3.15 है0 व ख. नं. 388 रकबा 3.33 है0 बनना दर्शित है। जमाबंदी संवत 2046 में माधो व भोलू के नाम ख. नं. 387 रकबा 3.15 है0 व ख. नं. 388 रकबा 3.33 है0 अन्य खसरा नम्बरो के साथ है। हाल नक्शा ट्रेस में हाल ख. नं. 387 व 388 दर्शित है। हाल ख. नं. 421 रकबा 0.75 है0 साबिक ख. नं. 238 मिन से बनना दर्शित है। हाल जमाबंदी संवत 2074–77 में प्रार्थीगण के नाम ख. नं. 387 व 388 दर्ज रिकॉर्ड है। ख. नं. 421 वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 3 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

उक्त रिकॉर्ड का विवेचन करने पर यह तथ्य सामने आते है कि साबिक ख. नं. 143 मिन 30 बीघा 9 बिस्वा का रकबा 7.61 है0 के लगभग होता है। प्रार्थीगण की खातेदारी में ख. नं. 387 व 388 जिनका रकबा 6.48 है दर्ज है । प्रार्थीगण ख. नं. 421 रकबा 0.75 है0 को स्वयं की खातेदारी में दर्ज करवाने का अनुतोष चाहता है जो वर्तमान में नगरपालिका के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अगर ख. नं. 421 के रकबे को प्रार्थी की खातेदारी के रकबे में मिलाया जावे तो भी रकबा 7.23 है0 ही होता है। शेष रकबे के बारे में प्रार्थीगण द्वारा कोई अनुतोष भी नहीं चाहा गया है और न ही उल्लेख किया कि शेष रकबा किस ख. नं. में शामिल हुआ है । साथ ही प्रार्थीगण ने सन् 1991–92 के खसरा परिवर्तन भी पेश किया है जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को उक्त विवादित भूमि का राजकीय होने का पूर्व से ज्ञान था जबकि दावा 30 वर्ष बाद लाया जा रहा है। अतः उक्त समस्त तथ्यो को प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्यो से दावा में निर्धारण किया जा सकेगा। आज की स्थिति में प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रमाणित नही पाया जाता है।

सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति :–प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है तथा प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति भी नहीं हो रही है।

आदेश

अप्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक उक्त तीनो बिन्दू प्रार्थीगण द्वारा साबित नहीं करने के कारण प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 21.02.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली